अंचल कार्यालय,महागामा

केश का प्रकार :-

अभिलेख संख्या :- 96/16-17

अपर समाहर्त्ता गोड्डा के पत्रांक 615/ रा0 दिनांक 17.05.2016 के आधार पर किया गया है जिसमें उन्होने श्री मति राजबाला बर्मा मुख्य सचिव झारखंड सरकार द्वारा संदेहास्पद जमाबंदी की अभियान चलाकर जाँच कर समयवद्ध प्रभाव कारी कदम उठाते हुए अवैध जमाबंदी रद्द कर अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निदेश प्राप्त है। अतः पत्र कि प्रति सभी राजस्व कर्मचारियों को निर्गत करते हुए पत्र में वर्णित विन्दुओं पर जाँच प्रतिवेदन मांग की गई। उक्त पत्र के अनुपालन में हल्का कर्मचारी श्री गजेन्द्र कुमार यादव वो अंचल निरीक्षक श्री शारदेन्दु दास का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जिसमें उन्होंने प्रतिवेदित किया है कि मौजा पथुआ .... थाना नं0 692 गैरमजरूआ खाता नं0 24/28 दाग नं0 32 रकवा 01-01-02 किस्म परती कदीम श्री सति मुरली देवी पिता नारसिंह रविदास ... साकिन .... के नाम से पंजी 2 में नया जमाबंदी कायम है। जो संदेहास्पद प्रतीत होता है। अतः श्री सति सरली देवी को दिनांक 30/7/16 समय 11:00 Am पुर्वाहन् में उक्त भूमि प्राप्त करने से संबंधित दस्तावेज की मूल प्रति सत्यापन हेतु अधोहस्ताक्षरी के समक्ष समर्पित करने का नोटिश निर्गत करें।

30/7/16

अंचल अधिकारी,
महागामा।

अभिलेख उपस्थापित। सरली देवी पति ~~[illegible]~~ नारसिंह रविदास पुत्र डॉ० [illegible] प्रसाद उपस्थित। उन्होंने साक्ष्य के रूप में [illegible] का हिन्दी अनुवाद समर्पित किया गया है। उन्होंने हल्का कर्मचारी को निदेश दिया जाता है कि [illegible] का मौलिक सत्यापन का अगली तिथि के पूर्व प्रतिवेदन समर्पित करें। अभिलेख दिनांक 11/8/16 को रखें।

अ० अ०

11/8/16	अभिलेख उपस्थापित। इस्तेहार प्रसार उपस्थित। दावाकर्ता उपस्थित। अभिलेख दिनांक 24/8/16 को रखें।
3/7/2020	अभिलेख उपस्थापित। नोटिस निर्गत करें। 3/7/2020 अं० अ० महागामा

अभिलेख उपस्थापित।

05/02/2021 राजस्व उपनिरीक्षक-सह-प्रभारी अंचल निरीक्षक महागामा से प्रसंगत भूमि का भौतिक प्रतिवेदन के साथ अभिलेखीय प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसका अवलोकन किया। प्रतिवेदनानुसार आवेदक संदेहास्पद पंजी-II रैयत को भूमि सक्षम पदाधिकारी से प्राप्त है। वर्तमान में उक्त भूमि ई०सी० एल० ECL क्षेत्र के अधिग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत है।

अतः उपरोक्त के आलोक में अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित

अं० अ०
महागामा

5/2/21
अंचल अधिकारी,
महागामा

सेवा में,

श्रीमान् अंचल अधिकारी,
महागामा।

विषय :- अवैध संदेहास्पद वाद संख्या ..96..../2016–17 ..मुरती देवी........ पिता–..नरसिंह रविदास...., का जांच प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना हैं कि अवैध संदेहास्पद वाद संख्या ......96...... /2016–17 मुरती देवी.......... पिता–..नरसिंह रविदास......, का जांच प्रतिवेदन का जांच किया जांचोपरांत पाया कि प्रश्नगत भूमि मौजा–बसुआ, थाना नं0–692 के गैरमजरूआ खाता सं0–24/28.. के अंदर दाग नं0–32 का अंश रकवा .....01-01-02.... धूर किस्म– परती–कदीम अंचल अधिकारी, महागामा/अनुमंडल पदाधिकरी, गोड्डा के ..Mutation... केश नं0–..32/6/1964-15........ के माध्यम से ..मुरती देवी.......... पिता–..नरसिंह रविदास.. को प्राप्त हुआ है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है। प्रश्नगत भूमि ई0सी0एल0 के द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है।

अतः उपरोक्त के आलोक में उक्त जमाबंदी को सही मानते हुये अभिलेख की कार्रवाई बंद की जा सकती है। जांच प्रतिवेदन सादर सूचनार्थ समर्पित।

विश्वासभाजन

(हस्ताक्षर)

Digitally signed by RANJAN YADAV
Date: 2021.09.22 00:52:45 -07:00
Location: 192.168.8.108

F:PK/496

Scanned with CamScanner